

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या—२४/2010-2011

एस0जे0पी0ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल

बनाम

सरकार

धारा 161 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा सतोहा असगरपुर

ज0वे0 निर्णय

पार्थी एस0जे0पी0ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालोनी, मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक-18.5.2010 में अंकित किया गया है कि वह मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-362 खसरा संख्या- 521 रकबा 0.367हे. व खाता संख्या-233 खसरा संख्या 523मि. रकबा 0.093हे. के संकमणीय भूमिधर दर्ज काश्तकार है। मौजा सतोहा असगरपुर स्थित ग्राम सभा भूमि खसरा संख्या 32 रकबा 0.352हे., खसरा संख्या 74/1089 रकबा 0.081हे. तथा खसरा संख्या 772 रकबा 0.008हे. कुल 0.441हे. बंजर दर्ज काश्तकार है। ग्राम सभा की उक्त भूमि कम्पनी द्वारा विकसित हेतु प्रस्तावित भूमि की बाउन्ड्रीवाल करने पर उसके अन्दर आने के फलस्वरूप वादी प्रतिवादी के मध्य वर्णित भूमि का विनियम होना आवश्यक है। उक्त भूमि के आसपास के काफी बड़े भू-भाग पर एस0जे0पी0 ग्लोबल मिनिटेड कम्पनी के द्वारा कालोनी में आवासीय कालोनी विकसित करने हेतु प्रस्तावित है। वादी उक्त कम्पनी में साझीदार तथा कम्पनी की ओर से समस्त अधिकार प्राप्त है। विनियम हेतु प्रस्तावित वादी-प्रतिवादी की भूमि में किरम जमीन के अनुसार मालियत का अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक का नहीं है। विनियम स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तावित विनियम से ग्राम सभा को कोई क्षति नहीं है, क्योंकि विनियम स्वीकार उपरान्त वादी की भूमि के बदले ग्राम सभा को अधिक रकबा प्राप्त होगा। अतः विनियम स्वीकार किया जाय।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा जॉचकर संस्तुति आख्या दिनांक-27.11 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि वादी मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-362 खसरा संख्या- 521 रकबा 0.367हे. व खाता संख्या-233 खसरा संख्या 523मि. रकबा 0.093हे. के संकमणीय भूमिधर दर्ज काश्तकार है। मौजा सतोहा असगरपुर स्थित ग्राम सभा भूमि खसरा संख्या 32 रकबा 0.352हे., खसरा संख्या-74/1089 रकबा 0.081हे. तथा खसरा संख्या 772 रकबा 0.008हे. कुल 0.441हे. बंजर दर्ज काश्तकार है। ग्राम सभा की उक्त भूमि आवासीय कालोनी की बाउन्ड्रीवाल के अन्दर आने के कारण वादी उक्त भूमि का विनियम उक्त गांव सभा की भूमि से करना चाहता है। दोनों भूमियों की मालियत में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं है। ग्राम सभा को अधिक भूमि मिल रही है, जिससे गांव सभा को कोई क्षति नहीं हो रही है। इस प्रकार विनियम स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा विनियम स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गई है।

विनियम हेतु भूमि प्रवन्धक समिति सतोहा असगरपुर की बैठक दिनांक-5.6.2011 के अन्तर्गत संसामति से विनियम प्रस्ताव पारित किया गया है।

पक्षों को सूचना पत्र जारी किया गया। ग्राम प्रधान श्री वीरीसिंह पुत्र हीरा सिंह द्वारा दर्ज कम्पनी में सशपथ बयान दिनांक- 29.7.2011 में प्रस्ताव दिनांक- 5.6.2011 की पुष्टि करते हुए कहा कि अंकित कसबा कि ग्राम सभा को उक्त विनियम में 0.019हे. रकबा अधिक मिल रहा है जो लक्षित में है तथा गांव सभा को लाभकारी है। भूमि प्रवन्धक समिति एवं किसी ग्रामवासी को इस विनियम से कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जगन्नाथ भारद्वाज लेखपाल क्षेत्र सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा ने अपने समक्ष पक्षों को बयान दिये बयान दिनांक- 29.7.2011 में अंकित कराया है कि वादी मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-362 खसरा संख्या- 521 रकबा 0.367हे. व खाता संख्या-233 खसरा संख्या 523मि. रकबा 0.093हे. के संकमणीय भूमिधर दर्ज काश्तकार है। मौजा सतोहा असगरपुर स्थित ग्राम सभा भूमि खसरा संख्या 32 रकबा 0.352हे., खसरा संख्या 74/1089 रकबा 0.081हे. तथा खसरा संख्या 772 रकबा 0.008हे. कुल 0.441हे. बंजर दर्ज काश्तकार है। ग्राम सभा की उक्त भूमि आवासीय कालोनी की बाउन्ड्रीवाल के अन्दर आने के कारण वादी उक्त भूमि का विनियम उक्त गांव सभा की भूमि से करना चाहता है। दोनों भूमियों की मालियत में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं है। गांव सभा को अधिक भूमि मिल रही है, जिससे गांव सभा को

कोई बाधा नहीं हो रही है। इस प्रकार विनियम स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

उभय पक्षों को सुना राजा पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया गया। उक्त विनियम हेतु प्रस्ताव दिनांक 5.6.2011 को भू0प्र0रा0 द्वारा पारित किया गया। प्रस्तावित विनियम के संबंध में पत्रावली पर दिनांक 27.11.11 सुलनात्मक नक्शा मालियत से विदित है कि उक्त विनियम बादी द्वारा विकसित की जा रही कालौनी के अन्दर गांव सभा भूमि आने के कारण किया जा रहा है। गांव सभा को उक्त विनियम में अधिक भूमि प्राप्त हो रही है, जिससे गांव राजा को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अतः गांव सभा को लाभ हो रहा है। प्रस्तावित विनियम में किरम जमीन के अनुसार मालियत का अंतर 10 प्रतिशत से अधिक का नहीं है। उक्त विनियम के संबंध में पत्रावली पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त विनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

एतद्वारा बादी की गौजा सतौहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा स्थित भूमि खसरा संख्या 521 रकबा 0.367 हे. व खसरा संख्या 523 गि. रकबा 0.093 हे. कुल 2 कित्ता रकबा 0.460 हे. का गौजा सतौहा असगरपुर सिंहा ग्राम सभा भूमि खसरा संख्या 32 रकबा 0.352 हे. खसरा संख्या 74/1089 रकबा 0.081 हे. तथा खसरा संख्या 772 रकबा 0.008 हे. कुल 0.441 हे. से विनियम करने हेतु भू0प्र0रा0 द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक-5.6.2011 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक 27.11 आदेश का अंग रहेगी। तदनुसार अभिलेखों में इन्द्राज किया जाय। इस आदेश को तहसीलदार, मथुरा को तदनुसार अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक निर्देशों पत्रावली दायित्व दफ्तर होवे।

(अमर पाल सिंह)

उप जिलाधिकारी, मथुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अभिलेखों

इन्द्राज करके एक प्रति न्यायालय में उपलब्ध करायी जाय।

(अमर पाल सिंह)

उप जिलाधिकारी, मथुरा

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

27/9/2011

885

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

उपजिलाधिकारी, मथुरा

द्वारा तहसीलदार/ रा0 निरीक्षक

महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र न्यायालय उपजिलाधिकारी मथुरा वाद संख्या 28 सन् 2011 एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल बनाम ग्राम सभा मौजा सतोहा असगरपुर तह0 मथुरा अंतर्गत धार0 161 ज0वि0अ0 दिनांक 18.05.11 पर पारित आदेश के अनुपालन में जोंचोंपरांत आख्या निम्न प्रकार है।

1. प्रार्थी/वादी द्वारा ग्राम सतोहा असगरपुर स्थित ग्राम सभा भूमि के गाटा सं0 32 रकवा 0.352 है0, 74/1089 रकवा 0.081, 772 रकवा 0.008 है0 बंजर भूमि का विनिमय अपनी संक्रमणीय भूमि के गाटा सं0 521 रकवा- 367, 523 मि0 रकवा 0.093 है0 से इस आधार पर किये जाने की अपेक्षा की गई है कि वादी एवं उसके सहभागीदारों द्वारा एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 कम्पनी के नाम से ग्राम - नगला सदोला तथा ग्राम सतोहा असगरपुर के काफी बड़े भू-भाग को मिलाकर आवासीय कालोनी विकसित हेतु प्रस्तावित है ग्राम सभा की उक्त भूमि आवासीय कालोनी की बाउण्ड्रीवाल के अन्दर आती है, जिसके कारण कालोनी के विकास में बाधा उत्पन्न होगी तथा प्रस्तावित विनिमय द्वारा ही उक्त समस्या का समाधान संभव हो सकेगा।
2. प्रस्तर 1 में वर्णित समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित विनिमय के सम्बन्ध में भूमि प्रबंधक समिति ने अपनी बैठक दिनांक 05.06.11 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से निम्न भूमि ब्यौरे के अनुसार विनिमय प्रस्ताव पारित किया गया है।

वादीगण की भूमि का ब्यौरा जो विनिमय स्वीकार उपरान्त ग्राम सभा को प्राप्त होगा					ग्राम सभा भूमि का ब्यौरा जो विनिमय स्वीकार उपरान्त वादीगण को प्राप्त होगा				
खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकवा है0 में	नौइयत	खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकवा है0 में	नौइयत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362	एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालोनी, मथुरा	521	0.367	सं0 भू0	593	ग्राम सभा	32	0.352	बंजर
233	एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालोनी, मथुरा	523 मि.	0.093	सं0 भू0	593	ग्राम सभा	74/1089 772	0.081 0.008	बंजर बंजर
	कुल योग -	2 किता	0.460				3 किता	0.441	

Shardwaj
17/06/11

[illegible]

न्यायालय उपजिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या 28 / सन् 2011

एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा साझीदार राम अग्रवाल निवासी 111, जमुनाधाम कालोनी,

मथुरा

बनाम

ग्राम सभा द्वारा अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति

मौजा सतोहा असगरपुर

तहसील व जिला मथुरा

अन्तर्गत- धारा 161 ज0वि0एवं

भूमि व्यवस्था अधिनियम।

तहसील मथुरा

कृष्णलाल निवासी 111, जमुनाधाम कालोनी, मथुरा

काबिज है।

Sd/-

10/5/11

प्रार्थी/वादीगण का उपरोक्त के सम्बन्ध में निवेदन निम्न प्रकार है-

यह कि प्रार्थी/वादी ग्राम सतोहा असगरपुर स्थित खतौनी खाता संख्या 362 खसरा नं.

521 रकवा 0.367 है0 तथा खतौनी खाता संख्या 233 खसरा नं. 523 रकवा

0.367 है0 का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है तथा मौके पर काबिज व दखील है।

यह कि ग्राम सतोहा असगरपुर स्थित ग्राम सभा भूमि के खसरा नं. 32 रकवा 0.352

है0 खसरा नं. 74/1089 रकवा 0.081 है0 तथा खसरा नं. 772 रकवा 0.

008 है0, कुल रकवा 0.441 है0, बंजर दर्ज कागजात है। ग्राम सभा की उक्त भूमि

के आस-पास के काफी बड़े भूभाग पर एस0जे0पी0 ग्लोबल लिमिटेड कम्पनी के द्वारा

निकट भविष्य में आवासीय कालोनी विकसित हेतु प्रस्तावित है। वादी उक्त कम्पनी में

साझीदार है तथा कम्पनी की ओर से समस्त अधिकार प्राप्त है।

ग्राम सभा की उक्त भूमि कम्पनी द्वारा विकसित हेतु प्रस्तावित भूमि की बाउन्ड्रीवाल

करने पर उसके अन्दर आने के फलस्वरूप वादी प्रतिवादी के मध्य वर्णित भूमि का

विनिमय होना आवश्यक हो गया है।

3. यह कि वादी-प्रतिवादी की पारस्परिक सहमति से विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

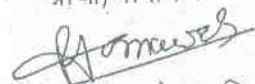
वादीगण की भूमि का का ब्यौरा (जो विनिमय स्वीकार उपरान्त ग्रामसभा/प्रतिवादी को प्राप्त होगा				ग्राम सभा भूमि ब्यौरा (जो विनिमय स्वीकार उपरान्त वादी को प्राप्त होगा			
खाता सं.	खसरा सं.	रकबा है०	नौइयत .	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा है०	नौइयत
362	521	0.367	स०भू०	593	32	0.352	बंजर
233	523मि.	0.093	स०भू०	593	74/1089	0.081	बंजर
					772	0.008	बंजर
योग	1 किता	0.093			2 किता	0.089	

4. यह कि विनिमय हेतु प्रस्तावित वादी-प्रतिवादी की भूमि में किस्म जमीन के अनुसार मालियत का अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक का नहीं है विनिमय स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।
5. यह कि प्रस्तावित विनिमय से ग्राम सभा को कोई क्षति नहीं है क्योंकि विनिमय स्वीकार उपरान्त वादी की भूमि के बदले ग्राम सभा को अधिक रकबा प्राप्त होगा।

अतः महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत है कि अध्यक्ष/सचिव भू० प्र० समिति को आदेशित किया जाये कि भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक बुलाकर विनिमय प्रस्ताव पारित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें तत्पश्चात् विनिमय स्वीकार किये जाने के आदेश पारित करने का कष्ट करें।

दिनांक- 10/5/11

प्रार्थी/वादीगण


(एस०जे०पी० ग्लोबल लि०)

द्वारा राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल
निवासी 111, जमुनाधाम कालोनी, मथुरा